

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

## विक्रय विलेख

अंगुलनक-॥  
(पृष्ठ ६-११)

यह विक्रय विलेख आज दिनांक..... माह..... वर्ष..... की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम १९६५ में गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् प्रस्ताव "परिषद् कक्षा" का कार्य उसके आवास अनुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का शास्त्र्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, परिषद् इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अमर्युति है और सम्मिलित है।

ज और श्री / श्रीमती / कुमारी

वसता

एतदप्रस्ताव पंजीकृत इच्छुक क्रेता, कहा गया है और जिस पद का शास्त्र्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया यह प्रदर्शित करता है कि :-

चूंकि उक्त परिषद् भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर.....

तहसील

में..... नामक गृहल्ले के..... भूखण्ड अथवा भूखण्ड पर निर्मित उक्त भूखण्ड आद्य वर्ग / अल्प आय वर्ग / समाज के दुर्धन आय वर्ग का भवन संख्या..... का निर्माण व्यय है और चूंकि उक्त भूखण्ड आवास रूपये) जिसका आवास

होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति (संख्या.....) को जिसका पूर्ण और जिसकी माप इसविलेख से संलग्न अनुसूची 'क' में उल्लिखित है। (जिसे एतदप्रस्ताव उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद् से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्ध और शर्तों के अधीन क्रय करने के लिए सहमत है अतएव अब रू..... (रूपये) की धनराशि के अन्तर्गत और सभी सम्बन्ध पक्षों के लिए इसमें समाविष्ट निबन्धन और शर्तों के अधीन परिषद् एतद् द्वारा उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना (सम्पत्ति संख्या.....) जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया है, इच्छुक क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए शिक्त और अन्तरित करती है :-

परिषद् को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद् का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

2. एतद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।
3. उक्त सम्पत्ति का वारताधिक कच्चा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया गया। अथवा किया जाना है।
4. इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद् द्वारा या उक्त परिषद् के अधीन दाला करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्ययमान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपयोग करेगा।
5. यदि इच्छुक क्रेता एतद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार प्रस्ताव, किन्हीं दायों या भागों के कारण या उक्त परिषद् के युटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद् इच्छुक क्रेता को युक्ति भुक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च को क्षतिपूर्ति करेगी।
6. उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे उक्त परिषद् द्वारा यथा प्रस्तावित गृहणार्थ और मकानों के इच्छुक क्रेताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन क्रय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं :-  
(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दया इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।  
(ख) इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।
7. उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी गारन्टी के साथ क्रय किया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद् से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो दाला किए गये किन्हीं प्रभारों के अनुषांगिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद् की कालोनी में सड़कों, उक्त सम्पूर्ण विजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुसूचन और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अशुभान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद् को देय ऐसी मारिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या ..... भर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद् उक्त धनराशि को 18% (अठारह प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।
8. पंजीकृत इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा / करेगी और वह विक्रय विशेष गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद् के सभी अनुदेशों को सदैव अनुसरण करेगा / करेगी।
9. इस विलेख के अधीन परिषद् से इच्छुक क्रेता का अर्वाटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या ..... स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा।

|        |              |
|--------|--------------|
| उत्तर  | साक्षी:      |
| पुर्व  | 1. हस्ताक्षर |
| दक्षिण | 2. नाम       |
| परिचय  | 3. पता       |
|        | 1. हस्ताक्षर |
|        | 2. नाम       |
|        | 3. पता       |
|        | 1. हस्ताक्षर |
|        | 2. नाम       |
|        | 3. पता       |

क्रेता ने विलेख में दिए गये  
अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये ग  
विरा में साक्ष्य में श्री / श्रीमती,  
सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्र

10. क्रेता ने विलेख में दिए गये निवन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख को अपनी उसकी द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निवन्धनों और शर्तों के अधीन होंगे।

विलेख में साक्ष्य में श्री/श्रीमती/कुमारी

आशयिता

ने परिषद् के लिए और उसकी ओर से क्रेता ने खद खरीदार के रूप में स्वेच्छा अपने हस्ताक्षर किये।

## अनुसूची "क"

### विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची :

| सम्पत्ति संख्या श्रेणी | क्षेत्रफल    | पूर्व        | परिधि        | उत्तर        | दक्षिण       | वर्गमीटर |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| उत्तर                  | पूर्व        | दक्षिण       | परिधि        | उत्तर        | दक्षिण       |          |
| 1. हस्ताक्षर           | 1. हस्ताक्षर | 1. हस्ताक्षर | 1. हस्ताक्षर | 1. हस्ताक्षर | 1. हस्ताक्षर |          |
| 2. नाम                 | 2. नाम       | 2. नाम       | 2. नाम       | 2. नाम       | 2. नाम       |          |
| 3. पता                 | 3. पता       | 3. पता       | 3. पता       | 3. पता       | 3. पता       |          |

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

सहायक आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी

(कृते आवास आयुक्त)

क्रेता के लिए और उसकी ओर से

1. हस्ताक्षर
2. नाम
3. पता

व्यक्ति या व्यक्तिओं द्वारा उत्पन्न किसी

वर्ती भार प्रत्यक्ष, किन्हीं दावों या मांगों को युक्ति युक्त तरीका तक हानि, क्षति

साधित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकते

बाद में किसी कारण से कोई शिकायत

समझदारी के साक्ष्य क्रय किया है कि जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रकारों में सड़कों, जल सम्पत्ति, विजली, सीवर किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और याशि उक्त सम्पत्ति (संख्या) सहित पंजीकृत क्रेता से उसूल करने

के लिये नहीं करेगा/करेगी और वह

स्थित है के अतिरिक्त क्रमिन् नहीं समझा जाएगा।